साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : विद्युत भवन, बेली रोड, पटना-21
बिहार सरकार का उपक्रम
CIN No. 40109BR2012SGC018890

संकल्प संख्या– 470 / दिनांक– 14/08/19 /

II-SB-Magadh-Alleg-11816/19

विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, जहानाबाद (शहरी) के अन्तर्गत वसूली केन्द्र पर जमा राशि के गबन के मामले में प्रथम दृष्ट्या संलिप्तता के आरोप के लिए मो0 मोईजुद्दीन, सेवानिवृत संदेशवाहक के विरूद्ध आपराधिक मुकदमा के साथ साथ पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के कार्यालय आदेश संख्या 1921 दिनांक 10.06.2006 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया था। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री यू0 एन0 द्विवेदी, तदेन मुख्य अभियंता (योजना) को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया था। इस मामले में विशेष अंकेक्षण के क्रम में उद्भेदित वित्तीय अनियमितताओ के लिए भी पत्रांक 1248 दिनांक 14.12.09 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही में निम्न रूप से जोड़क आरोप शामिल किया गया :–

1. दिनांक 23.05.1997 से 31.10.2005 तक के अवधि में राजस्व वसूली की राशि बैंक में कम/नहीं जमा किये जाने के कारण पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का राजस्व गबन रूपया 48,47,125.40 पैसा।
2. दिनांक 23.05.1997 से 31.10.2005 तक के अवधि में राजस्व वसूली की राशि बैंक विवरणी के अनुसार कम जमा किये जाने के कारण पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के राजस्व रूपया 28,11,166.00 का गबन।
3. मो0 मोउजुईद्दीन, सेवानिवृत संदेशवाहक से सेवानिवृति के बाद कोषरक्षक का कार्य लिये जाने के कारण उक्त अवधि में पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के राजस्व रूपया 1,60,000.00 का गबन।

श्री द्विवेदी एवं उनके अनुवर्ती जॉच पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही का निष्पादन नहीं किए जाने के कारण कालान्तर में कार्यालय आदेश संख्या 2379 दिनांक 11.08.10 द्वारा श्री सुरेश कुमार सिंह, विद्युत अधीक्षण अभियंता, पी0 एण्ड डी0 को जॉच पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

जॉच पदाधिकारी द्वारा मो0 मोईजुद्दीन के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन में आरोपित के विरूद्ध प्रतिवेदित सभी आरोपों के प्रमाणित होने का निष्कर्ष दिया गया, जिससे सहमत होते हुये जॉच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए मो0 मोईजुद्दीन से संकल्प संख्या 1306 दिनांक 12.09.13 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। मो0 मोईजुद्दीन द्वारा लगातार स्मारित करने के बावजूद द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित नहीं किया गया एवं विभागीय कार्यवाही के दौरान जॉच पदाधिकारी को आवश्यक सहयोग प्रदान नहीं किया गया।

मो0 मोईजुद्दीन द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित नहीं करने के फलस्वरूप जॉच पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं अन्य संबंधित अभिलेखों के सम्यक् समीक्षोपरान्त सं0सं0 1916 ज्ञापांक 1917 दिनांक 30.09.14 द्वारा उन्हें निम्नलिखित दण्ड दिया गया :–

1. गबन की राशि यथा रू0 76,68,338=40 (छिहत्तर लाख अड़सठ हजार तीन सौ अड़तीस रूपया चालीस पैसा) की सूद सहित वसूली।
2. 50 % (पचास प्रतिशत) पेंशन की कटौती।

उक्त दण्डादेश के विरूद्ध मो0 मोईजुद्दीन, सेवानिवृत संदेशवाहक द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष समादेश याचिका संख्या 2552/2015 (मो0 मोईजुद्दीन बनाम् बिहार राज्य विद्युत बोर्ड एवं अन्य) दायर किया गया। उक्त समादेश याचिका में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 16.07.18 को निम्न आदेश पारित किया गया :–

" Whether the respondents proceeded to award such a penalty upon the petitioner on the basis of assumption and without considering his defence, is an issue which must be decided in favour of the petitioner."

" It is a basis repuirement of the procedure that his response to second show cause was required to be considered before passing the impugned order dated 30.09.2014 . Statement made in the counter affidavit, and the record of the proceedings annexed to the counter affidavit reveals that same has not been considered, the order of punishment dated 30.09.2014 is unsustainable in law and is hereby quashed."

" The respondent authorities should consider the petitioners response dated 07.01.2014 and pass a reasoned and speaking order in accordance with law within a period of 8 weeks from the date of receipt/production of a copy this order."

" Entitlement of the petitioner will abide by the final adjudication of the Disciplinary Authority in terms of the direction."

माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में मो0 मोईजुद्दीन, सेवानिवृत संदेशवाहक के विरूद्ध पूर्व में निर्गत दण्डादेश संकल्प संख्या– 1916 ज्ञापांक 1917 दिनांक 30.09.14 को सं0सं0 2648 दिनांक 28.09.18 द्वारा तत्क्षण प्रभाव से निरस्त किया गया एवं दिनांक 07.01.14 को उनके द्वारा समर्पित आवेदन में उठाये गये बिन्दुओं का जवाब तथा वांछित अभिलेख उपलब्ध कराते हुये तत्कालीन बोर्ड के सं0सं0 1306 दिनांक 12.09.13 द्वारा पूछे गये द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित करने हेतु पत्रांक 2654 दिनांक 29.09.18 द्वारा उन्हें निर्देश दिया गया। उक्त पत्र मो0 मोईजुद्दीन के विद्वान अधिवक्ता, मो अबु हदर द्वारा प्राप्त कर दिनांक 09.01.19 एवं 05.03.19 को द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया।

पूछे गये द्वितीय कारण पृच्छा के परिप्रेक्ष्य मो0 मोईजुद्दीन द्वारा समर्पित प्रत्युत्तर में उल्लेख किया गया कि दिनांक 09.01.2019 को उनके द्वारा समर्पित जवाब के क्रम में उन्हें कुछ अभिलेख उपलब्ध कराया गया, जो अपठनीय है एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन से संबंधित बिन्दु स्पष्ट नहीं रहने के कारण द्वितीय कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर समर्पित करने हेतु उन्हें आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। उनके